APP-1
Grim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

ब्रज अदालत उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा बमुकाम

सागर रवी बनाम तहसीलदार पचपदरा

किस्म मुकदमा 131, 136 RLR Act नं. 166 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.6.23	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत खनौडा में प्रस्तुत कर कथन किया किया की ग्राम बडनावा चारणान के खसरा संख्या 215 रकबा 96.13 बीघा मे दिनांक 15.2.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार -2018 कैम्प बडनावा जागीर मे हमारा खसरा संख्या 215 रकबा 96.13 बीघा का बंटवाडा किया गया जो हमारा बंटवाडा भूल से बंटवाडा प्रस्तावित नक्शा अनुसार नहीं हुआ है साथ ही निवेदन किया कि खसरा संख्या 215 रकबा 96.13 बीघा का बंटवाडा वर्ष 2018 के अनुसार किये जाने के आदेश फरमाएं । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पटवारी खनौडा व भू.अ.नि.बडनावा जागीर से खातेदारी विभाजन आदेश दिनांक 18.6.2018 के अनुसार कि गई तरमीम अनुसार दुरूस्ती बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार पचपदरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गयी के अनुसार ग्राम पंचायत बडनावा चारणान के खसरा संख्या 215 रकबा 96.13 बीघा का खातेदारी विभाजन अन्तर्गत धारा 53/2 राजस्थान (खातेदारी) काश्तकारी अधिनियम 1955के तहत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बडनावा जागीर मे दिनांक 18.6.18 को जो विभाजन किया गया, उसके संलग्न नक्शा (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	सही है, एवं तरमीम किया गया नक्शा विभाजन अनुसार नहीं है । साथ ही बंटवाडा 2018 मे तरमीम बंटवाडे नजरी नक्शा अनुसार लट्ठा मे की गयी तरमीम की स्थिति शुद्व की जाने वाली तरमीम नक्शा दर्शित करते हुए खसरा संख्या 215 , 404, 405 / 215 वर्तमान खसरो की तरमीम दुरस्ती नियमानुसार उचित बताते हुए दुरस्तीकरण करने की अनुशंषा की गयी ।
	तहसीलदार पचपदरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।
	प्रार्थी व पैरोकार सरकार बहस को सुना व बहस पर मनन किया पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड लठठा ट्रेस मे हुई अशुद्व तरमीम की दुरस्ती हेतु पेश किया है, प्रार्थी द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय 2018 कैम्प बडनावा जागीर मे दिनांक 18.6.18 को किये गये खातेदारी विभाजन को स्वीकार किया है जिसमे लठठा ट्रेस मे दर्ज उक्त त्रुटि को जरिये शुद्वि नहीं किये जाने पर भविष्य मे विवाद की स्थिती उत्पन्न हो सकती है , तथा लठठा ट्रेस मे दर्ज अशुद्व तरमीम को दुरूस्त करने का अधिकार राज0भू0राज0अधि0 की धारा 131–136 के तहत श्री न्यायालय को प्राप्त है इसलिए प्रश्नगत खसरान के राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस मे दर्ज अशुद्व तरमीम को जरिये शुद्वि दुरूस्त करना न्याय के हित मे आवश्यक प्रतीत होने से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को तहसीलदार
	(हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पचपदरा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा भोमसागर, पटवार हल्का बडनावा, भू.अ.बडनावा, के खसरा संख्या 215, 4.5325 हैक्टयर, खसरा संख्या 404 / 215,0.5989 हैक्टयर, खसरा संख्या 405 / 215 10.2547 हैक्टयर का कब्जा / बंटवाडा / बेचान / जमाबंदी माफिक दिनांक 18.6.2018 को किये गये खातेदारी विभाजन प्रस्ताव अनुसार व तहसीलदार पचपदरा के तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न तरमीम दुरूस्ती प्रस्ताव अनुसार नक्शा लठठा ट्रेस मे विधि अनुसार जांच कर तरमीम दुरूस्त कर दर्ज की जावे । आदेश से किसी भी पक्षकार का जमाबन्दी मे दर्ज रकबा परिवर्तन नही किया जाएगा। मौके से किसी भी पक्षकारान को नहीं हटाया जा सकेगा । माफिक दिनांक 18.6.2018 को किये गये खातेदारी विभाजन प्रस्ताव व तहसीलदार पचपदरा के तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न तरमीम दुरूस्ती नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा